

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

**लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं.7**

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2024, आषाढ़ 31, 1946 (शक) को दिया जाना है

**जीएसटी संग्रह का अवलोकन**

**+7. श्री अरविंद गणपत सावंत:**

**श्रीमती माला राय:**

**श्री दीपक अधिकारी (देव):**

**श्री श्रीरंग चंद्र बारणे:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार जीएसटी संग्रहण का व्यापक सिंहावलोकन प्रदान करते हुए प्रत्येक माह की पहली तारीख को औपचारिक विवरण जारी करती रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार ने मासिक कर संग्रहण आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;
- (घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;
- (ङ) क्या सरकार द्वारा जीएसटी संग्रहण आंकड़े जारी न करने का कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या वित्त मंत्रालय ने पिछले सात वर्षों के दौरान उपलब्धियों के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह आंकड़े और बयान जारी किए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)**

(क): जी हां, एक मासिक प्रेस नोट जून 2024 तक जारी किया गया था।

(ख),(ग)और(घ): जीएसटी संग्रहण पर डेटा जीएसटी की वेबसाइट पर समय-समय पर प्रकाशित की जाती है।

(ङ): जी नहीं, सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(च): प्रेस नोट में जारी विवरण सहित कोई डेटा अथवा बयान सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं दिया गया था।

\*\*\*\*\*